



2017/00429

तारीख हुकम	हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री उत्तम भटनागर निवासी मकान नंबर 2-ब-25 पवनपुरी कॉलोनी, बीकानेर : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, बीकानेर प्रथम सूचना अपील संख्या 241/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27.11.17	<p style="text-align: center;">: निर्णय :</p> <p>1. अपीलार्थी हाजिर नहीं। लोक सूचना अधिकारी के विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।</p> <p>2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 16.08.17 में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, बीकानेर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जा कर वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलवाई जावे।</p> <p>3. लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि ने जवाब पत्रांक 975 दिनांक 10.10.17 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा किये गये आवेदन के संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से प्रार्थी/अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 454-56 दिनांक 17.8.17 से अवगत करवा दिया गया था। दिनांक 07.7.17 द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के पत्र संख्या 974 दिनांक 09.10.17 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाई गई थी। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।</p> <p>4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रार्थी/अपीलान्त को प्रेषित की गई सूचना के विपरीत अपीलान्त की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि अपीलार्थी सूचना से संतुष्ट है।</p> <p>5. अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।</p> <p>6. निर्णय आज दिनांक 27.11.17 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो</p> <p style="text-align: center;"> (अनिल गुप्ता) प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर</p>	 <p>सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official</p>